

न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)  
(पीठासीन अधिकारी - विकास पंचोली आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या - 125/2024 वाद

GCMS No. - 2024/478

1. जगदीश पिता ईश्वरलालजी ब्राह्मण निवासी अहीरपुरा तहसील निम्बाहेड़ा।

-वादी

बनाम

1. राधेश्याम पिता ईश्वरलाल ब्राह्मण निवासी अहीरपुरा तहसील निम्बाहेड़ा।
2. घनश्याम पुत्र ईश्वरलाल ब्राह्मण निवासी अहीरपुरा तहसील निम्बाहेड़ा।
3. दुर्गाशंकर पिता ईश्वरलाल ब्राह्मण निवासी अहीरपुरा तहसील निम्बाहेड़ा।
4. भूमिधारी तहसीलदार साहब निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम- 1955

उपरिस्थित :- 1-श्री नरेन्द्र वैष्णव - अधिवक्ता वादी

2- श्री घनश्याम शर्मा - प्रतिवादीगण

:: निर्णय ::

दिनांक :- 04.11.2024

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वादी ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रस्तुत कर निवेदन किया वादी एवं प्रतिवादीगण की स्वामित्व अधिपत्य की पुश्तैनी पैतृक आराजीयात वाके मौजा अहीरपुरा पटवार हल्का बडोलीघाटा तह० निम्बाहेड़ा की खाता नं० 136 की आराजी नं० 217 रकबा 0.0100 हेक्टेयर ट्युबवेल, आराजी नं० 245 रकबा 0.0100 हेक्टेयर ट्युबवेल, आराजी नं० 412/218 रकबा 0.1500 हेक्टेयर लगानी 6 रुपये 30 पैसा, आराजी नं० 416/225 रकबा 0.0600 हेक्टेयर लगानी 72 पैसा आराजी नं० 422/394 रकबा 0.1000 हेक्टेयर लगानी 1 रुपये 20 पैसा कुल किता 5 कुल रकबा 0.3300 हेक्टेयर, खाता नं० 135 की आराजी नं० 240 रकबा 0.0100 हेक्टेयर गे०मु०चाह, आराजी नं० 413/218 रकबा 0.0500 लगानी 2 रुपये 10 पैसा, आराजी नं० 417/225 रकबा 0.0500 लगानी 60 पैसा, आराजी नं० 420/241 रकबा 0.1300 लगानी 1 रुपये 56 पैसा, आराजी नं० 423/394 रकबा 0.1000 लगानी 1 रुपये 20 पैसा, कुल किता 5 कुल रकबा 0.3400 हेक्टेयर, खाता नं० 137 की आराजी नं० 226 रकबा 0.1400 हेक्टेयर लगानी 1 रुपये 68 पैसा, आराजी नं० 411/218 रकबा 0.0300 लगानी 1 रुपये 26 पैसा, आराजी नं० 415/225 रकबा 0.0300 लगानी 36 पैसा, आराजी नं० 419/160 रकबा 0.5100 लगानी 4 रुपये 85 पैसा, कुल किता 4 कुल रकबा 0.7100 हेक्टेयर व खाता नं० 33 की आराजी नं० 161 रकबा 0.2700 हेक्टेयर लगानी 95 पैसा, आराजी नं० 410/218 रकबा 0.1000 लगानी 4 रुपये 20 पैसा, आराजी नं० 414/225 रकबा 0.0900 लगानी 1 रुपये 8 पैसा, आराजी नं० 418/160 रकबा 0.2500 लगानी 2 रुपये 38 पैसा, कुल किता 4 कुल रकबा 0.7100 हेक्टेयर स्थित हैं।

2. वादग्रस्त आराजीयात वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त स्वामित्व आधिपत्य की पुश्तैनी पैतृक आराजीयात है जो वादी के बाप दादा के जमाने से चली आ रही है। वादग्रस्त सभी आराजीयात का मौके पर वादी एवं प्रतिवादीगण के पिता के जमाने में आज से करीब 35

सहायक कलक्टर  
निम्बाहेड़ा

वर्ष पूर्व आपसी सहमति से मौखिक रूप से बाहमी तौर से हिस्से अलग-अलग कर रखे हैं, किन्तु वर्तमान जमाबंदी में वादी व प्रतिवादीगण के नाम उक्त आराजीयात दर्ज चली आ रही परन्तु वादी व प्रतिवादीगण का का प्रस्तावित प्रविष्टी अनुसार वादी व प्रतिवादीगण का बाहमी बटवारे अनुसार कब्जा चला आ रहा हैं वादी ने प्रतिवादीगणों को मौके पर काबिज अनुसार प्रस्तावित प्रविष्टी अनुसार वादग्रस्त भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम घोषित करा राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण टाल चाल कर रहे है और घोषणा कराने से इंकार हो गये है।

3. वाद कारण दिनांक 15/06/2024 को जब वादी ने प्रतिवादीगणों को मौके पर काबिज अनुसार व प्रस्तावित प्रविष्टी अनुसार वादग्रस्त भूमि वादी व प्रतिवादीगणों के नाम घोषित करा, राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने हेतु प्रतिवादीगण को कहा तो प्रतिवादीगण टाल चाल करने लगे व नाम पर कराने से इंकार हो गये से हर रोज उत्पन्न होकर यह दावा अंदर अवधी पेश है।
4. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सूचना पत्र तलब किया गया, प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता घनश्याम शर्मा ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं करने से जवाब बन्द किया गया। बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गई। मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अध्ययन किया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि उपरोक्त प्रकरण में लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर वादीगण व प्रतिवादी के मध्य राजीनामा हो गया है व राजीनामे अनुसार वादी व प्रतिवादीगण वर्तमान प्रविष्टि व प्रस्तावित प्रविष्टि अनुसार राजीनामा हुआ है जो निम्न प्रकार हैं-

| वर्तमान प्रविष्टि       | आराजी नंबर         | रकबा हैक्टेयर    | प्रस्तावित प्रविष्टि    | आराजी नंबर              | रकबा हैक्टेयर      |
|-------------------------|--------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| वादी<br>जगदीशचंद्र      | 412/218            | 0.1500           | वादी<br>जगदीशचंद्र      | 412/218 में से          | 0.1200             |
|                         | 416/225            | 0.0600           |                         | पश्चिम दिशा का          |                    |
|                         |                    |                  |                         | प्रतिवादी<br>दुर्गाशंकर |                    |
|                         |                    |                  | प्रतिवादी<br>दुर्गाशंकर | 416/225                 | 0.0600             |
| प्रतिवादी<br>राधेश्याम  | 423/394            | 0.1000           | वादी<br>जगदीशचंद्र      | 423/394                 | 0.1000             |
|                         | 413/218<br>417/225 | 0.0500<br>0.0500 |                         | प्रतिवादी<br>दुर्गाशंकर | 413/218<br>417/225 |
| प्रतिवादी<br>घनश्याम    | 226                | 0.1400           | प्रतिवादी<br>राधेश्याम  | 226                     | 0.1400             |
|                         | 415/225            | 0.0300           |                         | 415/225                 | 0.0300             |
|                         | 411/218            | 0.0300           |                         | 411/218                 | 0.0300             |
| प्रतिवादी<br>दुर्गाशंकर | 410/218            | 0.1000           | प्रतिवादी<br>घनश्याम    | 410/218                 | 0.1000             |
|                         | 414/225            | 0.0900           |                         | 414/225                 | 0.0900             |

सहायक कलक्टर  
निम्बाहेड़ा

इसलिए वादी व प्रतिवादीगण का राजीनामा मौके पर काबिज अनुसार व प्रस्तावित प्रविष्टी अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के नाम वादग्रस्त आराजियात घोषित करा इसी अनुसार राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज किये जाने का निवेदन किया।


5. बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गई । मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अध्ययन किया गया। वादी व प्रतिवादी गण ने राजीनामा पेश किया जिसे तस्दीक कर शामिल पत्रावली किया गया। वाद वादी राजीनामे अनुसार स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

### घोषणा है कि

वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा-88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 पर्याप्त सबूतों के परिपेक्ष्य में स्वीकार किया जाता है तथा वादी का वाद कतई डिक्री किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेडा को आदेश दिया जाता है की वाके मौजा अहीरपुरा पटवार हल्का बडोलीघाटा तह० निम्बाहेडा की आराजी नंबर 412/218 में से पश्चिम दिशा की 0.12 हैक्टेयर, आराजी नंबर 423/394 रकबा 0.1000 हैक्टेयर वादी जगदीश पिता ईश्वरलाल ब्राह्मण के, आराजी नंबर 412/218 में से पूर्वी दिशा की 0.03 हैक्टेयर, आराजी नंबर 416/225 रकबा 0.06 हैक्टेयर, आराजी नंबर 413/218 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, आराजी नंबर 417/225 रकबा 0.0500 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी नंबर 3 दुर्गाशंकर पिता ईश्वरलाल ब्राह्मण के, आराजी नंबर 226 रकबा 0.1400 हैक्टेयर, आराजी नंबर 415/225 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, आराजी नंबर 411/218 रकबा 0.0300 हैक्टेयर प्रतिवादी नंबर 1 राधेश्याम पिता ईश्वरलाल ब्राह्मण के तथा आराजी नंबर 410/218 रकबा 0.1000 हैक्टेयर व आराजी नंबर 0.0900 हैक्टेयर प्रतिवादी नंबर 2 घनश्याम के नाम मौके पर काबिज अनुसार दर्ज किए जाने एवं अमल दरामद किये जाने की घोषणा की जाती है। तहसीलदार, निम्बाहेडा घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करावें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 04.11.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया



  
(विकास पंचोली)  
सहायक कलक्टर,  
निम्बाहेडा  
सहायक कलक्टर  
निम्बाहेडा

मूल वाद में अन्तिम डिक्री  
न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)  
(पीठासीन अधिकारी - विकास पंचोली आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या - 125/2024 वाद

GCMS No. - 2024/478

1. जगदीश पिता ईश्वरलालजी ब्राह्मण निवासी अहीरपुरा तहसील निम्बाहेड़ा।  
-वादी

बनाम

1. राधेश्याम पिता ईश्वरलाल ब्राह्मण निवासी अहीरपुरा तहसील निम्बाहेड़ा।
2. घनश्याम पुत्र ईश्वरलाल ब्राह्मण निवासी अहीरपुरा तहसील निम्बाहेड़ा।
3. दुर्गाशंकर पिता ईश्वरलाल ब्राह्मण निवासी अहीरपुरा तहसील निम्बाहेड़ा।
4. भूमिधारी तहसीलदार साहब निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम- 1955

पत्रावली आज दिनांक को वादिया के अधिवक्ता श्री नरेन्द्र वैष्णव की उपस्थिति में पत्रावली अन्तिम निपटारा हेतु प्रस्तुत होने पर आदेश दिया जाता है कि वादी का वाद बाबत घोषणात्मक हेतु डिक्री किया जाता है तथा विवादित आराजियात वाके मोजा अहीरपुरा पटवार हल्का बडोलीघाटा तह० निम्बाहेड़ा की आराजी नंबर 412/218 में से पूर्वी दिशा की 0.03 हैक्टेयर, आराजी नंबर 416/225 रकबा 0.06 हैक्टेयर, आराजी नंबर 413/218 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, आराजी नंबर 417/225 रकबा 0.0500 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी नंबर 3 दुर्गाशंकर पिता ईश्वरलाल ब्राह्मण के, आराजी नंबर 226 रकबा 0.1400 हैक्टेयर, आराजी नंबर 415/225 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, आराजी नंबर 411/218 रकबा 0.0300 हैक्टेयर प्रतिवादी नंबर 1 राधेश्याम पिता ईश्वरलाल ब्राह्मण के तथा आराजी नंबर 410/218 रकबा 0.1000 हैक्टेयर व आराजी नंबर 0.0900 हैक्टेयर प्रतिवादी नंबर 2 घनश्याम के नाम मौके पर काबिज अनुसार दर्ज किए जाने एवं अमल दरामद किये जाने की घोषणा की जाती है। तहसीलदार, निम्बाहेड़ा घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करावें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 04.11.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया



(विकास पंचोली)

सहायक कलक्टर,

निम्बाहेड़ा

सहायक कलक्टर  
निम्बाहेड़ा